न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या–14, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

नियमित दाण्ड़िक प्रकरण संख्या– 1484 / 2021
सरकार बनाम शैली कुमावत
पीठासीन अधिकारी – नवनीत, आर.जे.एस.(अति0 प्रभार)

<u>दिनांक : 27.05.2024</u>

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्ता शैली कुमावत की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमावत उपस्थित।

अभियुक्ता / प्रार्थिया शैली कुमावत की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 21.05.2024 के निस्तारण के क्रम में पत्रावली आज पेशी में ली गई।

उभयपक्ष को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र दिनांकित 21.05.2024 के जरिये प्रार्थिया / अभियुक्ता ने दिनांक 01 जून, 2024 से 30 मई, 2025 तक विदेश आने–जाने की अनुमति चाही है।

प्रार्थिया का निवेदन है कि वह अपनी बच्ची के साथ बैंगलोर में रहकर बच्ची का पालन–पोषण कर रही है। प्रार्थिया को अपनी नौकरी के सिलसिले में नियमित रूप से विदेश आना–जाना लगा रहता है। अतः उसने दिनांक 01 जून, 2024 से 30 मई, 2025 तक विदेश आने–जाने की अनुमति चाही है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी ने प्रार्थनापत्र का विधिनुसार निस्तारण करने का निवेदन किया है।

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं का नौकरी के सिलसिले में नियमित रूप से विदेश आना–जाना लगा रहता है। जिससे उसने दिनांक 01 जून, 2024 से 30 मई, 2025 तक विदेश आने–जाने हेतु इजाजत मांगी है। प्रकरण वर्ष 2021 का है और प्रार्थिया / अभियुक्ता पर धारा 341,323 भा.द.सं. का आरोप है। अभी तक प्रकरण में दो गवाहान पी.ड.1 मुकेश स्वरूप भटनागर, पी.ड.2 सुषमा भटनागर के बयान लेखबद्ध हुए है। अतः समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थिया / अभियुक्ता को दिनांक 01 जून, 2024 से 30 मई, 2025 तक विदेश आने–जाने की अनुमति दी जाती है।

प्रार्थिया / अभियुक्ता विदेश जाने की तिथि और लौटने की तिथि के संबंध में न्यायालय को विदेश जाने से पूर्व अवगत करवायेगी

और अपनी यात्रा टिकिटों की एक स्वप्रमाणित प्रति पत्रावली पर पेश करेगी तथा यात्रा से लौटने पर अविलम्ब व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थिति अंकित करवायेगी।

आदेश सुनाया गया।

कागजात शामिल पत्रावली हो। पत्रालवी पूर्वानुसार दिनांक 29.05.2024 को पेश हो।

(नवनीत)